ग्राम पंचायत रौणी मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 **प्रस्तावना**

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना,** विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मूल चन्द चन्देल	1.4.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमति प्रभा चन्देल	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति पूनम चन्देल	1.4.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत रौणी मतियाना के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.45
2	7	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Mustroll भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।	1.53
3	10	दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना।	11.47
4	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	2.41
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.78
6	13	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	1.34
7	14	भुगतान से संबन्धित रसीद प्राप्त न करना	0.44
8	16	ऋण की राशि की वसूली न करना	1.00
9	19	बिना वाउचर के भुगतान करना	0.42

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना**, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **6.10.2017** से **10.10.2017** के दौरान ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना** के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	11/2014	5/2014
2015-16	03/2016	11/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा **उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।**

3 **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना**, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 576/2017 दिनांक 09.10.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, **रौणी मतियाना** से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

सचिव, ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना** द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 **(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना** की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम

2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.02 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत **द्वारा** खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की **₹1641** को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता **"क"** में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2014 से 03/2017 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2016-17	14th FC	1641.00

6 **पंचायत राजस्व की ₹0.45 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा परिशिष्ट- 2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक राजस्व ₹44950 वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7. **विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Must roll भुगतान हेतु ₹1.53 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे ।**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक **द्वारा** संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि **₹153282** के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक **द्वारा** सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान/उप प्रधान और पंचायत सचिव को किया गया दर्शाया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक **द्वारा** ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार

सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 3** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान/ उप प्रधान और पंचायत सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक **द्वारा** सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान/ उप प्रधान और पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 577/2017 दिनांक 9.10.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या रौणी–1/17 दिनांक 10.10.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत **द्वारा** सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे।

8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव **द्वारा** निर्धारित फार्म –11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए

9 **ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में ₹4198** को **बैंक खाते में भी जमा ना करवाया जाने के परिमाणस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।**

अंकेक्षण में जमाबंदी नकल फीस प्राप्त आय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि रसीदों जिनका विवरण निम्न दिया गया हैं, से संबन्धित प्राप्त आय को वर्तमान समय तक ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया था। परिणामस्वरूप **₹4198** की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना प्रतीत होती हैं। अत: **₹4198.00** जिसे वर्तमान समय तक संबन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया हैं को ब्याज सहित उचित माध्यम से वसूल करके ग्राम पंचायत निधि में शीघ्र अति शीघ्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए **तथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।**

Date	Receipt No.	Income Collected	Amount not Deposited into Bank Account	Amount not Deposited into Bank Account
30.10.2014	403521	2298	0	2298
18.2.2015	403541	1900	0	1900
	Total	4198		

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 578/2017 दिनांक 9.10.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या रौणी–2/17 दिनांक 10.10.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त राशि को शीघ्र ही ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाया जाएगा।

10. **अनुदान की ₹11.47 लाख का उपयोग न करना**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल **₹1147390** उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट–4** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11. **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹2.41 लाख का अनियमित व्यय करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा "परिशिष्ट–5"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर **₹240802** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्यो को माप पुस्तिका में दर्ज नही किया गया है जो कि संशय पैदा करता है कि वास्तव में परिशिष्ठ में दर्शाये गए कार्य किए गये है अथवा नहीं जिसकी पूर्ण जांच कि जानी आपेक्षित है उक्त व्यय में ₹149900 का भुगतान सड़क की मुरम्मत हेतु JCB को किराये पर लेने हेतु किया गया है परन्तु माप पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज न हाने के कारण किये गये भुगतान की जांच नहीं की जा सकी कि वास्तव में कितना कार्य किया गया है। अतः उक्त किये गये कार्य की प्रमात्रा कि प्रविष्टि माप पुस्तिका में मूल्यांकन सहित दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12. **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.78 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–6"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹477564** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. **क्रय किए गए ₹1.34 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई **₹133914/-** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-7"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, **क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेंखाखन व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन आगमी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए.**

14. विभिन्न भुगतानों के संदर्भ में भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त न किया जाना।

नियमानुसार किसी भी मद की खरीद या अन्य भुगतान हेतु पंचायत निधि/GIA से भुगतान करने पर भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से या अन्य से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जाना अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹43906/- के भुगतानों के संदर्भ में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। अत: इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Voucher No./Date	Cash Book Page No.	Amount	To Whom Paid	Remarks
Nil/14.05.2015	29(I.W.M.P.)	19906.00	Project Director, (I.W.M.P.)	Interest Amount on (I.W.M.P.) GIA .
Nil/07.11।2015	32(I.W.M.P.)	24000.00	Project Director, (I.W.M.P.)	Interest Amount on (I.W.M.P.) GIA .
Total		43906.00		

15 ₹0.30 लाख के भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

वाऊचर संख्या 2 दिनांक 23.4.2014 ₹30000

उपरोक्त व्यय वाऊचर के माध्यम से ₹30000 का भुगतान सचिव,ग्राम स्वास्थ्य समिति भोंट को " Total Health Campaign" हेतु किया गया था। परन्तु भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान अवधि तक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था । वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता हैं कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया हैं जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अत: भुगतान के बदले उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों को वितरित की गई ऋण की ₹1.00 लाख को प्राप्त न करना

Integrated Water Shed Development Project के नियमों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी ग्रुप को **₹**25000 प्रति ग्रुप की दर से राशि प्रदान की गई थी। इस

प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 4 लाभार्थी समूहों को ऋण की राशि प्रदान की गई थी। इस परियोजना के निर्देशों के अनुसार लाभार्थी ग्रुप **द्वारा** ऋण की राशि को ऋण देने की तिथि से 12 महीने के अन्दर ग्राम पंचायत में वापिस जमा करवाई जानी थी। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि न तो किसी लाभार्थी ग्रुप **द्वारा** ऋण की राशि को वर्तमान समय तक वापिस किया गया और न ही इस संदर्भ में ऋण वापसी हेतु कोई पत्राचार सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** लाभार्थी ग्रुप के साथ किया गया था। इस प्रकार परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभ भोगी/लाभार्थी समूहों से ऋण की कुल **₹**100000/- वर्तमान समय तक वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। अत: परियोजना नियमों की अनदेखी करके ऋण की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी समूहों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए.

Date of payment	Amount paid	To Whom Paid		Remarks
23.6.2015	**25000.00**	**Self help Group**	**Pragati**	**Amount of loan not Recovered**
23.6.2015	**25000.00**	**Self help Group**	**Vikas**	**Amount of loan not Recovered**
14.7.2015	**25000.00**	**Self help Group**	**Jaagriti**	**Amount of loan not Recovered**
24.5.2016	**25000.00**	**Self help Group Teer**	**Ronni**	**Amount of loan not Recovered**
Total	**100000.00**			

17 निर्माण कार्य हेतु क्रय किए गए ₹0.09 लाख के सामान की खपत न करना.

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से संबन्धित व्यय वाउचर व माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया की ग्राम **पंचायत द्वारा परिशिष्ट-8”** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय किए` ₹9358 के **(स्टील)** सामान को न तो निर्माण कार्य हेतु खपत **किया गया न ही माप पुस्तिका में खपत दर्शाई गई थी तथा** न ही सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया जिससे उक्त सामान के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है अत: निर्माण कार्य हेतु क्रय किए **₹9358** के सामान को निर्माण कार्य हेतु खपत न करने व सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹9358 की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

18. मानदेय के रूप में ₹1000 का अधिक भुगतान ।

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹1000/- का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया हैं) । अत: बिना सभा में

उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान कि वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid	Remarks
Sh. Rakesh	**7.8.2014**	**200.00**	**Member was absent in the meeting.**
Sh. Rakesh	**22.8.2014**	**200.00**	**Member was absent in the meeting.**
Smt.Meera	**22.8.2014**	**200.00**	**Member was absent in the meeting.**
Sh.Rakesh.	**8.9.2014**	**200.00**	**Member was absent in the meeting.**
Smt Meera	**8.9.2014**	**200.00**	**Member was absent in the meeting**
Total		1000.00	

19. **₹0.42 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे।**

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए **₹42000** के विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण **परिशिष्ट –9** पर दिया गया हैं, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाऊचरो को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए ।

20. **चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।**

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान चौकीदार,सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नही बनाया गया था। जिसके कारण इन सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. **विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ledgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

22. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 विविध अनियमितताए

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत **द्वारा** निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी

समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना** द्धारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93 (ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत **रौणी मतियाना द्वारा** आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ङ) मनरेगा से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के दौरान **मनरेगा** से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन–देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी **द्वारा** सीधे तौर पर किया जाता हैं। परन्तु सभी भुगतान बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही तैयार किये जाते है तथा उसका अभिलेख भी पंचायत स्तर पर ही रखे जाते है इसलिए रोकड़ बही का लिखा जाना अनिवार्य है अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

25. **निष्कर्ष:–** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(1)76 / 2017 खण्ड—1—523—526 दिनांक17.01.2018
शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत रौणी मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881